नाबालिग बच्चियों को साध्वी बनाए जाने पर रोक लगाएगी? उपसभाध्यक्ष महोदय, जब हमारे समाज में बाल-विवाह पर रोक है तो इस पर भी क्यों न रोक लगाई जाए?

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल: महोदय, मैं भी अपने को इससे सम्बद्ध करती हूं।

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Bapu Kaldate. Your name is the first as far as the Special mentions are concernd. Smt. Sarala Maheshwari has requested me that she be given priority because she is not feeling well. If you have no objection, I can ask her to speak now.

DR. BAPU KALDATE: no problem, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Smt. Sarala Maheshwari. You are not feeling well. So, Please be brief.

Need to Set up Writers Welfare Fund

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह विशेष उल्लेख का प्रस्ताव "सेवक कल्याण कोष" की स्थापना के संबंध में है।

महोदय, सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद ने कहा था कि समाज में जो कुछ सुंदर और पवित्र है, साहित्य उसी की प्रतिमूर्ति है। समाज के इन सुंदर और पवित्र मूल्यों को ढालने, उनको सहेजने और विकसित करने का काम करने वाले कलम के सिपाही हमारे समाज के लेखक लेकिन कितने वंचित प्रताड़ित और लांछित हैं, इसकी सहज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महोदय, "मैला आंचल" और "परती परिकथा" के महान कथाशिल्पी फनीश्वर नाथ रेणु की पत्नी ने हाल ही में दूरदर्शन के "परख" कार्यक्रम को दिए गए एक साक्षात्कार में आंतरिक वेदना से कहा था कि मैं चाहूंगी कि मेरे घर में और कभी कोई लेखक पैदा न हो।

महोदय, हमारे समाज में लेखकों की यह स्थिति इस समाज के अन्यायपूर्ण ढांचे पर ही एक कड़ी टिप्पणी है। व्यवस्था का स्वरूप लेखकों के प्रति हमेशा ही निर्दयी उदासीनता का रहा है क्योंकि लेखक स्वभावतः व्यवस्था-विरोधी होता है। इसीलिए खूबसूरत शफीलों में बंदी हमारी व्यवस्था कभी भी लेखक की अंदरूनी जिंदगी की ओर झांकने की चेष्टा नहीं करती। और सिर्फ हमारे यहां ही नहीं, सभी जगह लेखकों के संदर्भ में हम व्यवस्था का यही रूख देखते हैं।

महोदय, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार ग्रेवियल मारकोज ने कुछ वर्षों पहले अपने पुस्तक "इंड्रेड इयर्स ऑफ सालिच्यूड" जिसकी प्रतियों की बिक्री ने रिकार्ड तोड़ दिया, में कहा था कि यह पुस्तक बहुत अच्छी हुई होती अगर मेरे पास इसें लिखने का और वक्त होता, लेकिन कर्ज के बढ़ते हुए बोझ तथा महाजन की तरह प्रकाशक के दबाव ने मुझे इसे किसी तरह खत्म करने को मजबूर कर दिया। महोदय, हमारे यहां स्थिति और भी विकट है। एक लेखक संघ से जुड़े होने के नाते और एक लेखक परिवार से जुड़े होने के नाते लेखकों के जीवन की पीड़ा को मैने बहुत निकट से भोगा है और आज के इस माध्यमों के युग में जहां की पूरी संस्कृति का माध्यमीकरण हो रहा है वहां सृजनात्मक लेखन के लिए तो स्थितियां और भी विकट होती जा रही हैं। पाठक और लेखक के बीच का रिश्ता टूटता जा रहा है। पुस्तकें छपती नहीं, छपती हैं तो बिकती नहीं हैं और बिकती हैं तो लेखक को उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती। हमारे कानून भी लेखकों के साथ न्याय नहीं करते।

महोदय, संपत्ति संबंधी अन्य तमाम कानूनों में संपत्ति की पूर्ण विरासत को स्वीकारा गया है। किसी भी संपत्ति के वारिश को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। लेखन जो लेखकों की संपत्ति होती है, उसे इस प्रकार की पूर्ण स्वीकृति हासिल नहीं है जो अन्य प्रकार के मामलों में दी गयी है। इससे एक बहुत बड़ा कोष तैयार हो सकता है। इस कोष के जरिए लेखकों की पांडुलिपियों को प्रकाशित करने में अनुदान आदि से शुरू करके लेखक समाज को हर प्रकार की राहत प्रदान करने का काम किया जा सकता है। यह योजना हर पुस्तक पर लागू होनी चाहिए, वह चाहे धार्मिक पुस्तक हो, वैज्ञानिक विषयों से संबंधित पुस्तक हो या अन्य किसी भी विषय से संबंधित पुस्तक क्यों न हो। इससे यह कोष एक विशाल कोष का रूप ले सकेगा तथा रायल्टी कानून से हम जो उम्मीद करते हैं कि वह लेखक के अपने जीवन-काल में, उसके लेखन-कार्य में सहयोगी बने, वह उम्मीद भी काफी हद तक पूरी हो सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तत्काल इस आशय की पूरी योजना बनाकर पेश करनी चाहिए।

उपासभाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन से निवेदन है,

आपसे भी निवेदन है कि लेखकों के बारे में आज तक हमारी सरकार ने कोई चिंता नहीं की है। मैं यह चाहूंगी कि हमारा यह सदन एकमत होकर इस पर अपनी राय जाहिर करे और लेखकों के लिए हमें एक कल्याण कोष की स्थापना करनी चाहिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे अपने आपको एसोसिएट करती हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): सारा सदन एसोसिएट करता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): आपने बहुत अच्छा विषय रखा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आगे नाम पुकारूं, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास कुल मिलाकर के 14 नाम शेष हैं और लगभग हमारे पास 25 मिनट हैं। अगर हम दो-दो मिनट में अपनी बात कह सकें तो अच्छा हो। Because brevity is a rare quality which Dr. Bapu Kaldate possesses very well. So, I would request you to be as brief as possible because there are other occasions to express yourself. So, Dr. Bapu Kaldate. (*Interruptions*) Yes, he will set an example, I am sure.

Need to Decentralise the UGC to avoid delay in giving grants to various Universities.

डा॰ बापू कालदाते (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विशेष उल्लेख की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जब 1956 में हुई थी, तब सिर्फ 35 विश्वविद्यालय देश में थे। आज 1993 की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि आज हिन्दुस्तान में 155 विश्वविद्यालय हैं और 38 सम-विश्वविद्यालय हैं। इसका मतलब है कि करीब-करीब 200 विश्वविद्यालय देश में हैं। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी, तब के काम और आज के काम में पांच गुना फर्क पड़ गया है। आज तीन लाख से ज्यादा शिक्षक इसमें सम्मिलित होते हैं। आज 7,200 महाविद्यालय है जिसमें से 4,200 को अनुदान दिया जाता है। जो 155 विश्वविद्यालय हैं इनमें से 110 विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है। बहुत बड़ी सूची है, लेकिन चूंकि आपने कहा है कि समय कम है इसलिए मैं इसको बहुत सीमित कहूंगा। आज इस आयोग के विविध कार्यों की सूची अगर आप देखें तो 28 मसले आते हैं, जहां यह अनुदान आयोग अनुदान देता रहता है। यहां उच्चतम शिक्षा से लेकर साक्षरता अभियान तक आयोग पैसा देता है। यहां एटॉनमस कालेज से लेकर ओपन यूनिवर्सिटी तक वह मदद करता है। यहां यूनिवर्सिटी टीचर्स से लेकर कालेज के टीचर्स को वह मदद करता है। यह सारा काम इतना बढ़ गया है कि इसकी वजह से जब 1986 में यहां नई शिक्षा नीति का सवाल उठा था, तब मैंने यह बात कही थी कि आपका जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यह टॉप हैवी हो गया है। अगर वहां दफ्तर में जाएं, मैं जाता हूं कभी-कभी कुछ कामों के लिए, तो वहां दफ्तर में जाने के लिए जगह नहीं होती इतनी फाइलें वहां पड़ी हुई हैं। लोग कम हैं, सवाल बहुत पैदा होते हैं। कालेजों के लिए आप अनुदान देते हैं, उसके जवाब उन्हें नहीं मिलते। हर रोज यहां अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के लोग, त्रिवेन्द्रम से लेकर नार्थ-ईस्ट तक के लोग, यहां आते हैं और हमने देखा है उनकी हालत को जैसे कोई बेगर्स हो, जैसे भीख मांगने के लिए आए हों और अनुदान आयोग उनके साथ कोई न्याय नहीं कर सकता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन वहां कई मामले सालों से पड़े हुए हैं। देहातों में आप कहते हैं कि आपकी स्कीम मंजूर हो गई। मैं पैसे के जोर से ले लेता हूं, तैयार करता हूं, लेकिन आपकी अनुदान आयोग की जो शेष राशि है उसे मिलने में दो-दो साल लगते हैं, तो वहां काम नहीं हो रहा है। मैंने यह सुझाव दिया था कि यह जो केन्द्रीय अनुदान आयोग बना हुआ है, आप इसको विकेन्द्रित कर दीजिए, ठोस बना दीजिए। जहां तक नीति का सवाल है, अनुदान देने की नीति का सवाल है, वहां पर आप अनुदान-नीति एक दफा तय करें और नीचे के जो छोटे-छोटे हल्के हैं, जोन्स हैं - साउथ का बनाएं, मध्य का बनाएं, और ऐसे छोटे-छोटे जोन्स बनाकर आप उन्हें एग्जीक्यूटिव पावर्स, प्रशासकीय अधिकार दीजिए। ताकि यह जो हरदम, हर समय लोगों को रोज वहां जाना पड़ता है और उनका काम होता नहीं है। महीनों से, सालों से अनुदान आयोग में उनका काम होता नहीं है, पैसे मिलते नहीं हैं, लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। मेरा बिल्कुल ठोस सुझाव है कि इस विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का विकेन्द्रीयकरण करें, केन्द्र नीति तय करें और उसका जो प्रशासन है उसके लिए आप जोंस बनाकर अनुदान के सारे कामों को सीधा और सरल बनाएं। धन्यवाद।

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल (गुजरात): मैं भी अपने को जोड़ना चाहती हूं। मैं भी इसकी समिति